



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 35]

नई दिल्ली, अगस्त 26—सितम्बर 1, 2018, शनिवार/भाद्र 4—भाद्र 10, 1940

No. 35]

NEW DELHI, AUGUST 26—SEPTEMBER 1, 2018, SATURDAY/BHARDA 4—BHARDA 10, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 282.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कांस्टेबल (पायोनियर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कांस्टेबल (पायोनियर) भर्ती नियम, 2018 है।
- ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
कांस्टेबल (पायोनियर)	15* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 3 (रु. 21,700—69,100 /—)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति — केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो समरूप पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ निर्माण शाखा या पायोनिर अनुभाग में 3 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हों। टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति कि अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति कि अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने कि अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23011 / 23 / 2018—पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th August, 2018

G.S.R. 282.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (Pioneer) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Constable (Pioneer) Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay Matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constable (Pioneer)	15* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group- 'C', Non- Gazetted. Non-Ministerial.	Level-3 in the pay matrix (Rs.21,700 – 69,100/-).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By deputation	By Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or Central Police Organisations or State Police Organisations holding analogous post with five years' regular service and with 3 years experience in the Works branch or Pioneer section. Note 1. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Not applicable

[F. No. 23011/23/2018-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 283.—निकेन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (क) एवं (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सशस्त्र सीमा बल समूह 'ग' योद्धक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल, योद्धक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ग' योद्धक (अराजपत्रित) परा-पशुचिकित्सा पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग श्रेणी-1 में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए "श्रेणी-1" से निम्नवत् परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :-

(i) कोड अक्षर श्रेणी (एस.एच.ए.पी.ई), जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित विद्यमान घटकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :-

एस	—	मनोवैज्ञानिक
एच	—	श्रवण शक्ति
ए	—	उपांग (अपैन्डेजेस)
पी	—	शारीरिक क्षमता
ई	—	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 गिरती कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके द्वारा जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी-1 में है, वहाँ उसका प्रवर्ग एस1, एच1, ए1, पी1, ई1 लिखने के बजाय, श्रेणी-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

(क) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

- (ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों की श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।
- (ग) “एस” घटक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य, किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भू-खंडों पर और लंबे कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।
- (घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
- (ङ) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।

6. अधिवर्षिता.—इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है, अंतिम दिन के अपराह्न को सेवानिवृत्त होगा:

परंतु वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

9. सेवा का दायित्व.—इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

10. जो भारत का नागरिक नहीं है उनकी अयोग्यता.—जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा:

परन्तु इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात बल में नेपाल या भूटान की प्रजा नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक उप-निरीक्षक (पशु चिकित्सा)	30* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अननुसचिवीय) योद्धक	स्तर -5 (29200-92300 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : ऐसे हैड कांस्टेबल (पशु चिकित्सा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो

और महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर जारी यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से, या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति या आमेदन :- केन्द्रीय पुलिस बलों और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बलों के ऐसे अधिकारी;

(i) मूल काडर या विभाग में उपचार के क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करता हो और पशु अस्पताल या डिस्पेंसरी का प्रबंध करने या उसे चलाने में समर्थ हो और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से पशु चिकित्सा और जीवधन विकास या पशुचिकित्सा स्टाक सहायक पाठ्यक्रम या पशुपालन पाठ्यक्रम में दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो ;

(ii) मूल काडर या विभाग में ऐसे हेड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से पशु चिकित्सा और जीवधन विकास या पशुचिकित्सा स्टाक सहायक पाठ्यक्रम या पशुपालन पाठ्यक्रम में दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।

टिप्पण 1: पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :

सेना से निर्मुक्त या सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिन्होंने पशु-चिकित्सा सेवा में सदृश्य पद या समतुल्य रैंक धारण किए हों; और

टिप्पण : सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्न लिखित होंगे:-	लागू नहीं होता।
1. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —अध्यक्ष	
2. कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य और	
3. उप कमाण्डेंट (पशु चिकित्सा) या सहायक कमाण्डेंट (पशु चिकित्सा), सशस्त्र सीमा बल —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. हेड कांस्टेबल (पशु चिकित्सा)	177★ (2018) ★कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय) योद्धक	स्तर-4 (25500-81100 रु.)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : (i) शैक्षिक अर्हताएं: (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मुख्य विषय के रूप में जीव विज्ञान के साथ विज्ञान में माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण; और (2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से पशु चिकित्सा और जीवधन विकास या पशुचिकित्सा स्टाक सहायक पाठ्यक्रम या पशुपालन पाठ्यक्रम में दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। (ii) शारीरिक और चिकित्सीय मानदंड: (क) ऊँचाई: पुरुषों के लिए : 170 से.मी. महिलाओं के लिए : 157 से.मी. (ख) छाती : पुरुषों के लिए बिना फुलाए : 80 से.मी. फुलाने पर : फुलाव न्यूनतम 5 से.मी. महिलाओं के लिए : लागू नहीं होता। (ग) भार : (पुरुषों और महिलाओं के लिए): चिकित्सीय मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में। निम्नलिखित अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई और छाती में शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगी:— ऊँचाई : गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 से.मी. और महिलाओं के लिए 155 से.मी. होगी। अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.5 से.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 से.मी. होगी। छाती : गढ़वाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों की न्यूनतम छाती 78 से.मी. (न्यूनतम पाँच से.मी. फुलाने पर) होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम छाती 76 से.मी. (न्यूनतम पाँच से.मी. फुलाने पर) होगी। चिकित्सीय मानदंड : (क) दृष्टि : बिना सुधार के अर्थात् बिना चश्मा लगाए दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ख) अभ्यर्थियों को अन्तर्जानू सपाट पैर, स्फीत (शिरा) या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक त्रुटि से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के पालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सालय में विभिन्न नस्लों के जानवरों के उपचार में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: सीधी नियुक्ति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

		अर्हित करना होगा। बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्हित करने के लिए दो से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे जिसके न हो सकने पर उनकी सेवा समाप्त होने के लिए दायित्वहीन है। टिप्पण 2: सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों को भी महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर अवधारित पाठ्यक्रमों को अर्हित करना होगा।
--	--	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। (ii) 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : ऐसे कांस्टेबल (पशु चिकित्सा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.) में 5 वर्ष नियमित सेवा किया हो और महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा 6 महीने का पशु चिकित्सा कैडर पाठ्यक्रम या अन्य कोई पाठ्यक्रम समय-समय पर विहित किया गया हो, अर्हित हों। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से, या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो

(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) और विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- - कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल — अध्यक्ष - सेकण्ड-इन-कमांड या उप कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल — सदस्य; और - सहायक कमाण्डेंट (पशु चिकित्सा), सशस्त्र सीमा बल — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. कांस्टेबल (पशु चिकित्सा)	292★ (2018) ★कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसूचित) योद्धक	स्तर-3 (21700-69100 रु.)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख	आवश्यक : (i) शैक्षिक अर्हताएं: (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मुख्य विषय के रूप में विज्ञान के साथ दसवीं या मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण। (ii) शारीरिक और चिकित्सीय मानदंड: (क) ऊँचाई : पुरुषों के लिए : 170 से.मी. महिलाओं के लिए : 157 से.मी.

	होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(ख) छाती : पुरुषों के लिए बिना फुलाए : 80 से.मी. फुलाने पर : फुलाव न्यूनतम 5 से.मी. महिलाओं के लिए : लागू नहीं होता। (ग) भार : (पुरुषों और महिलाओं के लिए): चिकित्सीय मानकों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में। निम्नलिखित अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई और छाती में शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगी:— ऊँचाई : गढ़वाली, कुमांडनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 से.मी. और महिलाओं के लिए 155 से.मी. होगी। अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.5 से.मी. और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 से.मी. होगी। छाती : गढ़वाली, कुमांडनी, गोरखा, डोगरा, मराठा के प्रवर्गों में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों की और सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों की न्यूनतम छाती 78 से.मी. (न्यूनतम पाँच से.मी. फुलाने पर) होगी। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम छाती 76 से.मी. (न्यूनतम पाँच से.मी. फुलाने पर) होगी। चिकित्सीय मानदंड : (क) दृष्टि : बिना सुधार के अर्थात् बिना चश्मा लगाए दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। (ख) अभ्यर्थियों को अन्तर्जानू, सपाट पैर, स्फीत (शिरा) या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए और ऐसी किसी शारीरिक त्रुटि से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के पालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सालय में विभिन्न नस्लों के जानवरों के उपचार में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: सीधी नियुक्ति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्हित करना होगा। बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अर्हित करने के लिए दो से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे जिसके न हो सकने पर उनकी सेवा समाप्त होने के लिए दायित्वधीन है।
--	---	--

		टिप्पण 2: सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों को भी महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा समय-समय पर अवधारित पाठ्यक्रमों को अर्हित करना होगा।
--	--	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—	लागू नहीं होता।
1. कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल — अध्यक्ष	
2. उप कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल — सदस्य; और	
3. सहायक कमाण्डेंट, (पशु चिकित्सा), सशस्त्र सीमा बल — सदस्य	

[फा. सं. 4/3/एसएसबी/सीएससी/बीएन/वैटी/2016/एसएफएस]

विनोद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 30th August, 2018

G.S.R. 283.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007) and in supersession of the Sashastra Seema Bal Group 'C' Combatized (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Combatized (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts in the Sashastra Seema Bal under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Group 'C' Combatized (Non-Gazetted) Para-Veterinary Posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, their Classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification .**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Medical Fitness.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-1, shall be eligible for appointment under these rules.

Explanation.For the purpose of this rule, "SHAPE-1" means Medical category defined as under:-

(i) Medical classification done by Medical Officer after assessing fitness of the officer under given factors indicated by the code letters SHAPE, which represent the following function:—

S - Psychological

H - Hearing

A - Appendages

P - Physical Capacity

E - Eyesight

(ii) Functional capacity of an officer under each factor shall be denoted by numeral 1 to 5 against each code letter, indicating declining functional efficiency and the numerals will be written next to the code letter, except that where an officer is in Grade-I in all factors, his category may be denoted by writing SHAPE-I instead of writing S1,H1,A1,P1,E1. General evaluation of these numerals is as under:—

- (a) Fit for all duties any wherein India.
- (b) Fit for all duties but may have limitations as to type of duties and area of employability depending on whether the duties involve severe stress or demand acuity of hearing or vision of both ears or eyes.
- (c) Excepting “S” factor, fit for routine or sedentary duties but may have Limitations of employability at high altitude (above 2,700 meters) extreme cold areas or hilly terrain and for long assignments.
- (d) Temporarily unfit for duties on account of hospitalisation or sick leave.
- (e) Permanently unfit for duties.

6. Superannuation.—A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty-seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Liability of service.—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

10. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not citizen of India, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule bar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Assistant Sub Inspector (Veterinary).	30* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non Ministerial) Combatised.	Level-5 (Rs.29200-92300/-).

Whether selection post or non-selection.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation or absorption or re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	
(11)	
Promotion: Head Constable (Veterinary) with five years regular service in level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix and who have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed by Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation or absorption : Officers of the Central Police Forces and State Police Forces or Union territory Police Forces; (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department with three years of field experience in treatment and be able to manage or run Veterinary Hospital or Dispensary and possess two years Diploma Course in Veterinary and Livestock Development or Veterinary Stock Assistant Course or Animal Husbandry Course from an institution recognised by the Central Government or State Government; or (ii) Head Constable (General Duty) with five years regulars service in level-4 (Rs.25500-81100/-) in the pay matrix in the parent cadre or department and possess two years Diploma Course in Veterinary and Livestock Development or Veterinary Stock Assistant Course or Animal Husbandry Course from an institution recognised by the Central Government or State Government. Note 1. The Departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3. The maximum age-limit for appointment by deputation including short-term contract shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application. Re-employment for ex-servicemen: Released or retired Army personnel who have held analogous post or equivalent rank in the Veterinary Service. Note. The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year, shall also be considered. Such personnel shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release or superannuation from the Armed Forces thereafter, they may continue on re-employment.	

If a departmental promotional committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal - Chairman 2. Commandant, Sashastra Seema Bal -Member; and 3. Deputy Commandant (Veterinary) or Assistant Commandant (Veterinary), Sashastra Seema Bal - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Head Constable (Veterinary).	177* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Ministerial) Combatised.	Level-4 (Rs.25500-81100/-).

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedules Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangni Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : (i) Educational qualification (1) Intermediate (10+2) examination pass with Science and Biology as main subject from a recognised Board or University; and (2) possess two years Diploma Course in Veterinary and Livestock Development or Veterinary Stock Assistant Course or Animal Husbandry Course from an institution recognised by the Central Government or State Government. (ii) Physical and Medical Standard: (a) Height :For males : 170 cms. For Females : 157 cms. (b) Chest: For males: Unexpanded : 80 cms. Expanded : Minimum expansion 5 cms. For female : Not applicable (c) Weight: (For males and Females) Proportionate to height and age as per Medical Standards. The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows:- Height: Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 cms. for male and 155 cms. for females. The minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 162.5 cms. for males and 150 cms. for females. Chest:- The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 cms. (minimum 5 cms. expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 cms. (minimum 5 cms. expansion). Medical Standards: (a) Eye Sight:- The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses. (b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in the eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour

		vision by Ishahara's Test as well as Edrich-Green Lantern Test. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. Desirable: One year experience in treatment of different species of animals, in a recognised Veterinary Hospital. Note 1: Candidates appointed on direct recruitment are required to qualify the Basic Recruit Training Course within a period of two years from the date of appointment. Not more than two chances will be given to qualify the Basic Recruit Training Course failing which services shall be terminated. Note 2: The candidates on direct recruitment will also undergo the courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.
--	--	--

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits.	(i) 60% by promotion; (ii) 40% by direct recruitment.

(11)
Promotion: Constable (Veterinary) with five years regular service in level-3 (Rs.21700-69100/-) in the pay matrix and having successfully qualified six months Veterinary Cadre Course or any other course as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) and Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairman 2. Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; and 3. Assistant Commandant (Veterinary), Sashastra Seema Bal - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Constable (Veterinary)	292* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial) Combatised.	Level-3 (Rs.21700-69100/-).

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Educational qualification Tenth or Matriculation Examination pass with Science as main subject from a recognised Board or University. (ii) Physical and Medical Standard:- (a) Height : For males : 170 cms. For Females : 157 cms. (b) Chest : For males: Unexpanded : 80 cms. Expanded : Minimum expansion 5 cms. For female : Not applicable (c) Weight: (For males and Females) Proportionate to height and age as per Medical Standards. The relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows:- Height:- Minimum height of candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 165 cms. for male and 155 cms. for females. The minimum height for all candidates belonging to Scheduled Tribes will be 162.5 cms. for males and 150 cms. for females. Chest:- The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the states of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, State of Jammu and Kashmir will be 78 cms. (minimum 5 cms. expansion). The minimum chest for all male candidates belonging to the Scheduled Tribes will be 76 cms. (minimum 5 cms. expansion). Medical Standards: (a) Eye Sight:- The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing of glasses. (b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in the eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's test as well as Edrich-Green Lantern test. They must be in good mental and bodily health and free from

		any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. Desirable: One year experience in treatment of different species of animals, in a recognised Veterinary Hospital. Note 1: Candidates appointed on direct recruitment are required to qualify the Basic Recruit Training Course within a period of two years from the date of appointment. Not more than two chances will be given to qualify the Basic Recruit Training Course failing which services shall be terminated. Note 2: The candidates on direct recruitment will also undergo the courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.
--	--	--

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairman 2. Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; and 3. Assistant Commandant (Veterinary), Sashastra Seema Bal - Member	Not applicable.

[F. No. 4/3/SSB/CSC/BN/Vety/2016/SFS]

VINOD KUMAR, Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 284.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में स्टाफ कार ड्राइवरों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	1 (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित(अननुसचिवीय)	स्तर-5 (29200-92300 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) के स्तर-4 में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II और स्टाफ कार ड्राइवर(सामान्य श्रेणी) की

		श्रेणी में 15 वर्ष सम्मिलित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।
--	--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (स्थापना) या उप सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य; और 3. अवर सचिव, (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	2* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित(अननुसचिवीय)	स्तर 4 (25500-81100 रु.)

(5)	(6)
अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर 2 में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (स्थापना) या उप सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य; और 3. अवर सचिव, (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	2* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, (19900-63200 रु.)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(7)	(8)
आवश्यक: i. मोटर कारों के लिए कोई विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति का होना; ii. मोटर यंत्र-क्रिया का ज्ञान हो (अभ्यर्थी मोटरयानों की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए); iii. मोटर कार चलाने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और iv. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, वांछनीय: (i) होमगार्ड/सिविल वॉलंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा टिप्पणी 1. सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता उन अभ्यर्थियों के मामले में जो अन्य प्रकार से सुयोग्य हैं, शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी 2. यदि चयन के किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के	लागू नहीं होता

उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से अनुभव से संबंधित अर्हता शिथिल की जा सकती है।	
टिप्पणी 3. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सक्षमता मानकों के संदर्भ में पद के लिए अनुकूलता का निर्णय करने के लिए ट्रेड परीक्षा और कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।	

(9)	(10)	(11)
सीधे भर्ती किए जाने वाले या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु-) स्तर 1 में ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति है, और जो उन्हें मोटरकार चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए ली गई चालन परीक्षा के आधार पर मिली हो जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पदधारण करनेवाले ऐसे पदधारियों या वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) स्तर- 1 में ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ (7) यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता।
1. निदेशक (स्थापना) या उप सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - अध्यक्ष	
2. अवर सचिव, (स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य; और	
3. अवर सचिव, (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - सदस्य	

[फा. सं. ए-12011/2/2017-स्थापना]

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, 21st August, 2018

G.S.R. 284-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Chemicals and Petrochemicals (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Chemicals and Petrochemicals (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix .—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver (Grade I).	1 (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300/-).

Whether selection post or non selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	(6)
Non- Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

Period of Probation if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion: Staff Car Driver Grade-II in level-4 in the pay matrix Rs. (25500-81100/-) with six years regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver (Grade II).	2 (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100/-).

(5)	(6)
Non selection	Not applicable

(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Staff Car Driver. (Ordinary Grade).	2 Two (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200/-).

(5)	(6)
Not applicable.	Between 18 - 25 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)
Essential: (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10 th standard or equivalent from a recognised board or institution. Desirable: Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note 1 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent	Not Applicable

authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Note 3.: The candidates shall be required to qualify the trade test and skill test designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential for the post.	
---	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	Deputation or absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in pay in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in the Department of Chemicals and Petrochemicals who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Pay Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

[F.No. A-12011/2/2017-Estt.]

T. P. N. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 285.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहर्ताएं आदि**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बहुकार्य कर्मचारिवृन्द	48*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1, (18000-56900 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से बनेगी :	लागू नहीं होता।
1. निदेशक (स्थापन) या उप-सचिव (स्थापन), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	— अध्यक्ष
2. अवर सचिव (स्थापन), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	— सदस्य
3. अवर सचिव (स्थापन), उर्वरक विभाग	— सदस्य

[फा. सं. ए-12011/2/2017-स्थापन-सीपीसी]

टी. पी. एन. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st August, 2018

G.S.R. 285.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petro-chemicals (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2011 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the Department of Chemicals and Petro-chemicals (Multi-Tasking Staff) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix .**—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Multi-Tasking Staff	48* (2018) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).

Whether selection or non selection post.	Age- limit for direct recruits
(5)	(6)
Not applicable	Between 18 and 25 years of age. Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Industrial Training Institute pass certificate from a recognised institute.	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:	Not applicable.
1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals — Chairperson	
2. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals — Member	
3. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers — Member.	

[F. No. A-12011/2/2017-Estt. CPC]

T. P. N. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 286.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, रसायन और पेट्रोसायन विभाग (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 1987 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया हो या किए जाने का लोप किया गया हो, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में डिस्पैच राइडर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोसायन विभाग (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे आवद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहर्ताएं आदि** — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त/अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. डिस्पैच राइडर	01 (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, (19900-63200 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी/न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की स्थिति में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
आवश्यक: - ऑटोरिक्षा की विधिमान्य चलन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; - ऑटोरिक्षा चलाने का दो वर्ष का अनुभव हो; - ऑटोरिक्षा यंत्र-क्रिया का ज्ञान हो (अर्थात् अभ्यर्थी को वाहन की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में योग्य होनी चाहिए); - अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने की योग्यता वांछनीय: 8वीं कक्षा उत्तीर्ण; - होमगार्ड या सिविल बॉलनटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा टिप्पणी: यदि चयन के किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से अनुभव से संबंधित अर्हता शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/पुनर्नियोजन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन: रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) स्तर 1 में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर या समूह 'ग' कर्मचारियों से जिनके पास स्तंभ 8 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव हो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मिकों के बारे में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहते दिया जा सकता है। टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे: - निदेशक (स्थापना) या उप-सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग — अध्यक्ष - अवर सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग — सदस्य; और - अवर सचिव, (स्थापना), उर्वरक विभाग — सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12011/1/2017-स्थापना-सीपीसी]

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st August, 2018

G.S.R. 286—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Chemicals and Petrochemicals (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Chemicals and Fertilizers, the Department of Chemicals and Petro-chemicals (Despatch Rider) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix .—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Despatch Rider	1 One (2018) Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200/-).

Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panji Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and

	Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Essential: (i) possession of a valid driving license for Autorickshaw; (ii) Two years' experience in driving Autorickshaw; (iii) knowledge of Auto rickshaw mechanism (i.e. the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iv) Ability to read English and Hindi. Desirable: (i) Pass in the 8th standard. (ii) three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	Deputation or absorption or re-employment failing which by direct recruitment.	Absorption: From amongst the regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/-) in the Department of Chemicals and Petro-chemicals failing which from regular Despatch Rider or Group 'C' employees from other Ministries of the Central Government who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits in Column 8. For Ex-Servicemen Deputation or re-employment The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on

		re-employment. Note. The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petro-chemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12011/1/2017-Estt. CPC]

T. P. N. SINGH, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 287.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि एवं सहकारिता विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 के, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आय-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखा अधिकारी	02* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ख') राजपत्रित अनुसन्धीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स के स्तर—6 (35400-112400 रु.) में ऐसे लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण — जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—6 (35400-112400 रु.) समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं; अर्थात् :-
- (i) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण; या
- (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण :

- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्त से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी

टिप्पणी :

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय (प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(1) संयुक्त सचिव (प्रशा.) — अध्यक्ष	
(2) कार्मिक प्रभाग का भारसाधक उप सचिव या निदेशक — सदस्य, और	
(3) कार्मिक प्रभाग का भारसाधक अवर सचिव — सदस्य	

[फा. सं. 12018/01/2011-स्था.-II (भाग)]

सुनील कुमार स्वर्णकार, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 16th August, 2018

G.S.R. 287.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Agriculture and Cooperation (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the posts of Accounts Officer in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Accounts Officer.	02* (2018). (*subject to variation dependent on workload).	General Central Service, (Group 'B'), Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the Pay Matrix (Rs.44900 – 142400).	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	50% by promotion. 50% by deputation.

In the case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Promotion:

Accountants in level-6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400) with five years regular service in the grade.

Note . Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers under the Central Government –

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400 – 112400) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following qualifications, namely :-
- (i) a pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the organised accounts departments of the Central Government ; or
- (ii) successful completion of training in the Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course and a minimum of three years' experience in cash, accounts and budget work.

Note 1. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary (Admn.) – Chairman (2) Deputy Secretary or Director incharge of the Personnel division – Member and (3) Under Secretary in-charge of Personnel Division –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No.12018/01/2011-E.II(Pt.)]

SUNIL KUMAR SWARNKAR , Under Secy.